

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ.19(0)2025/SBI MoU/कार्मिक-राज/प्रमुवसं-13301/ दिनांक : यथा ई हस्ताक्षर

निमित्त :

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,  
वन विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।

विषय : वन विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं बैंक ऑफ बडौदा के साथ किए गए एम.ओ.यू. के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वन विभाग, राजस्थान जयपुर एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जयपुर के मध्य हुए एम.ओ.यू. दिनांक 08.01.2025 तथा वन विभाग, राजस्थान जयपुर एवं बैंक ऑफ बडौदा के मध्य हुए एम.ओ.यू. दिनांक 24.09.2025 के क्रम में वन विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारी/ कर्मचारी अपनी सुविधानुसार/ आवश्यकतानुसार उपर्युक्त किसी भी बैंक में एम.ओ.यू. की शर्तों के दृष्टिगत अपने वेतन खाते को संबंधित बैंक में स्थानान्तरित/ वेतन पैकज में परिवर्तित करा सकते हैं जिससे कि संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी को एम.ओ.यू. के तहत समस्त लाभ/ परिलाभ प्राप्त हो सकें।

किसी अधिकारी/ कर्मचारी के साथ कोई आकस्मिक दुर्घटना होने पर, संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी को एम.ओ.यू. अनुसार समस्त लाभ/ परिलाभ दिलवाने हेतु संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी स्वयं के स्तर से संबंधित बैंक (स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/ बैंक ऑफ बडौदा) को प्रस्ताव प्रेषित करते हुए नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करेंगे।

**नोट : स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं बैंक ऑफ बडौदा के मध्य हुए एम.ओ.यू. वन विभाग, राजस्थान, जयपुर के वेबसाइट (<https://forest.rajasthan.gov.in>) पर Download Section में उपलब्ध हैं।**

भवदीय,

(पवन कुमार उपाध्याय)  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन),  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.19(0)2025/एसबीआई एमओयू/कार्मिक-राज/प्रमुवसं-13301/ दिनांक : यथा ई हस्ताक्षर  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन), राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त मुख्य वन संरक्षक.....।
7. समस्त उप वन संरक्षक.....।
8. उप वन संरक्षक, आई.टी., राजस्थान, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन),  
राजस्थान, जयपुर